

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (ग) (1)/(डी-50)/अलेसे-I/

दिनांक: 12/02/15

आदेश संख्या: 144/2014-15

श्री देवकीनन्दन गर्ग, (लिनक नं. 8183) सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-I कार्यालय उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर को राज्य अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा ट्रेप किये जाने एवं अपराध संख्या 349/2011 पंजीबद्ध किये जाने के कारण विभागीय आदेश संख्या 1684-88 दिनांक 23.09.2011 के द्वारा दिनांक 19.09.2011 से निलम्बित माना गया था।

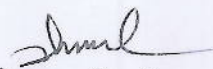
श्री देवकी नन्दन गर्ग (निलम्बित) सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-I के संबंध में कार्मिक (क-3) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2 (157) कार्मिक/क-3/97 दिनांक 07.07.2010 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अनु.3) की आज्ञा क्रमांक प.6(23)प्र.सुं./अनु/3/99/दि0 12.01.2011 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कर्मचारियों/अधिकारियों की निलम्बन से बहाली हेतु समीक्षा बैठक दिनांक 16.01.2015 को शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। वित्त (राजस्व) विभाग के पत्र क्रमांक प.2 (8) वित्त/राजस्व/14/दिनांक 28.01.2015 के द्वारा निलम्बन से बहाली का निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप श्री देवकीनन्दन गर्ग, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-I को निलम्बन से बहाल किया जाता है।

निलम्बन अवधि का निर्णय न्यायालय निर्णय के अधीन किया जावेगा।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (ग) (1)/(डी-50)/अलेसे-I/ 8243-8247 दिनांक: 12.02.15
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज. जयपुर।
2. कोषाधिकारी, पेंशन, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन) कार्यालय हाजा।
4. श्री देवकी नन्दन गर्ग, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-I मुख्यालय कोषालय, पेंशन, जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
6. निजी पत्रावली/ गार्ड फाईल।


(के.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)